न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/269

कालूलाल आत्मज धन्नालाल जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0।

––अपीलान्ट

बनाम

1. मनभर पुत्री कालूलाल पत्नी पप्पूलाल जाति धाकड़ निवासी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
2. कमली बाई पुत्री कालूलाल
3. कोशल्या बाई पुत्री कालूलाल
4. गुड्डी बाई पुत्री कालूलाल
5. धापू बाई पुत्री कालूलाल
6. सन्ती बाई पुत्री कालूलाल
7. बीना पुत्री कालूलाल
8. बजरंग पुत्र कालूलाल
   जाति धाकड़ निवासी गोरधपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा
10. उप पंजीयक तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री महेन्द्र नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री बी.सी.मालवीय, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट क्रम 1 की ओर से।

निर्णय — **दिनांकः 30.06.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 1696/2016 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम देवली खुर्द तहसील रामगंजमंडी में खाता सं.

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

44 में स्थित ख०न० 84 रकबा 1.0600 है० किस्म बारानी द्वितीय ख०न० 85 रकबा 0.7900 है० किस्मबारानी, द्वितीय ख०न० 87 रकबा 0.0700 है० किसम वारानी द्वितीय, ख०न० 106 रकबा 0.0100 है० किस्म गै०मु०चाह, ख०न० 107 रकबा 0.6500 है० किस्म चाही द्वितीय, ख०न० 117 रकबा 1.1100 है० किस्म बारानी द्वितीय एवं ख०न० 148 रकबा 1.2800 है० किस्म बारानी द्वितीय कूल किता 7 की रकबा 4.9700 है० स्थित है । उपरोक्त वर्णित आराजी वादिनी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 की पैत्रक संपत्ति है जो उनके पूर्वजो से प्राप्त हुई है उक्त आराजी वर्तमान में वादिनी एवं प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 के पिता कालूलाल के खाते दर्ज है जो कालूलाल को उनके पिता धन्नालाल की मृत्यु होने के पश्चात जरिये फोती इन्तकाल कालूलाल के खाते दर्ज हुई है। उक्त आराजी प्रतिवादी नं. 1 की स्व अर्जित सम्पत्ति नहीं है। मद नं. 1 में वर्णित आराजी के पुराने ख०न० निम्न प्रकार थे पुराने खसरा नं. 65 का रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, ख०न० 66 का रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, ख०न० 67 की रकबा 13 बीघा, ख०न० 82 मिन का रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, ख०न० 91 का रकबा 6 बीघा 17 बीस्वा ख०न० 114 का रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा है। जिसकी जमाबन्दी सम्वन्त 2033 से 2036 वाद पत्र के साथ सलग्न है। मदन न. 1 में वर्णित आराजी वादिनी की पैत्रक संपत्ति है और हिन्दू संयुक्त परिवार की वादिनी सदस्य है जो एक कोपार्शनर की श्रेणी में आती है और संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार एक पैत्रक सम्पति में वादिनी के संयुक्त परिवार की सदस्य होने के नाते उपरोक्त वर्णित आराजी मे जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी नं. 1 के बदनियती आने के कारण विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है एवं वादिनी को उसके निहित हक से वंचित करना चाहता है और वह मद नं. 1 में वर्णित आराजी को अन्य लोगो को विक्रय कर उक्त विकय से प्राप्त होने वाली रकम से अन्य भूमि खरीद कर अपने स्वयं के व प्रतिवादी नं. 8 बजरंगलाल जो कि उसका पुत्र है उनके खाते दर्ज करवाना चाहा है व शेष रकम स्वयं व उसकी पुत्रीयो को देकर रकम को खुर्द बुर्द करना चाहता है और वादिनी को उसके निहित हक से वंचित करना चाहता है। वर्ष 2011 में वादिनी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 की पैत्रक संपत्ति जो गांव गोरधनपुरा तह० रामगंजमंडी जिला कोटा के माल में भूमि खाता सं. 32 खसरा नम्बरान 282, 595, 598, कुल किता 3 रकबा 1.030 है० को अन्य व्यक्तियो को विक्रय कर दिया और उससे प्राप्त हुई समस्त रकम को प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 ने हडप कर ली ओर वादिनी को उस रकम में से कुछ भी नही दिया। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 1 वादिनी से काफी रंजिश रखता है और उसे उसकी पैत्रक संपत्ति से वंचित कर वादिनी को कुछ भी नहीं देना चाहता है और मद नं. 1 में वर्णित आराजी को भी खुर्द बुर्द करके कानून के अनुसार प्राप्त पैत्रक सम्पत्ति से पूर्ण रूप से वंचित करना चाहता है इस उद्देश्य की पूर्ती करने के लिये विवादग्रस्त आराजी को बैचान का वादिनी को असकी पैत्रक सम्पत्ति से महरूम करने पर पूर्ण रूप से आमादा है इस संबंध ने प्रतिवादी नं 1 ने कई लोगो से चर्चा करना शुरू कर दिया है व विवादित भुमि को विक्रय कर उसकी रजिस्ट्री करने पर आमादा है । मद नं. 1 वाद पत्र में वर्णित आराजी वादिनी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 मे हक बराबर से अधिकार प्राप्त है

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उसके मुताबिक उक्त संपत्ति में वादिनी का 1/9 हिस्सा निहित है जिसे वह अपने अलग खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है व प्रतिवादी नं. 1 वादनी को उसके अधिकार से वंचित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादी नं. 1 अपने उक्त गैर कानूनी इरादे में सफल हो जाता है और वादिनी को पैत्रक सम्पत्ति में निहित उसके हक से वंचित कर देता हे तो वादिनी के हाथो से उसके पूर्वजो के समय से चली आ रही आराजी हाथो से निकल जायेगी और वादिनी को अपरिमित क्षति होगी जसकी पूर्ती वादिनी कभी भी पूरी नहीं कर सकती है एवं पक्षाकारो के बीच मे अन्य मुकदमे बाजी और बढ़ेगी । उपरोक्त परिस्थितियो मे वादिनी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी नं. 1 व प्रतिवादी नं. 10 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि प्रतिवादी नं. 1 वाद पत्र नं. 1 में वर्णित आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को बैचान नहीं करे ना ही किसी प्रकार बैचान का सौदा करे और उक्त भुमि की अन्य व्यक्ति के हक में रजिस्ट्री न करावे व प्रतिवादी नं. 10 भी उक्त भुमि के बैचान पत्र को पंजिबद्ध नहीं करे और ना ही उक्त कृत्य अपने किसी ऐजेन्ट से करावे । मद नं. 1 वाद पत्र में वर्णित आराजी में निहित उसके 1/9 हिस्से का वादिनी को खातेदार घोषित किया जावे और उसका 1/9 हिस्सा अलग खाते दर्ज किया जावे। वादिनी का एक प्राईमाफेसाई केस है एवं सुविधाओ का सुंलन भी वादिनी के ही पक्ष में है। वाद कारण प्रतिवादी नं. 1 द्वारा एक अन्य खाता जो गोरधनपुरा के माल मे स्थित है की आराजी खाता सं. 32 खसरा नम्बरान 282, 595, 598, कुल किता 3 रकबा 1.030 को अन्य व्यक्ति के हक में विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवाने व खाता सं. 44 जो देवली खुर्द के माल में स्थित है को भी विकय करने पर आमादा होने व अन्य व्यक्तियो से रजिस्ट्री के सौदे की बात करने एवं वादिनी द्वारा प्रतिवादी नं. 1 को मना करने पर भी नही मानने पर पैदा हुआ । अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी सादिर फरमाई जावे कि (1) प्रतिवादीगण 1 व 10 के विरूद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी नं. 1 वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को बैचान नही करे कोई बैचान का सौदा नहीं करे। और न ही बैचान पत्र की रजिस्ट्री उसके हक मे कराये एवं प्रतिवादी नं. 10 भी उक्त भूमि के किसी विकय पत्र को पंजिबद्ध न करे और ना ही उक्त कृत्य अपने किसी ऐजेन्ट से कराये । (ख) यह कि मद नं. 1 वाद पत्र में वर्णित आराजी का वादिनी को 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे और वादिनी के हिस्से खाते में आई भुमि का विभाजन किया जाकर उसके अलग खाते दर्ज की जावे और उसी अनुसार दखल दिलाया जावे । अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादिनी को दिलवाई जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2024 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 23.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 23.08.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 23.08.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में लिखित बहस एवं अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिकी विधि के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन न कर सरसरी तोर पर वादनी का वाद प्राथमिक निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23–8–2024 पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि उक्त भूमि अपीलान्ट के खाते की भूमि है जो अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि है तथा रेस्पो० नं० 1 की पुश्तैनी भूमि नहीं है। रेस्पो०न० 1 अपने पिता के जीवनकाल में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। फिर भी रेस्पौ० नं० 1 का हक मानते हुये दावा वादनी रेस्पो० नं० 1 डिक्री करने में त्रुटि की है। जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि कानूनन पुश्तेनी भूमि खातेदार की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकामान व वारिस को ही प्राप्त होती है उसे पुश्तैनी भूमि कहते है प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो० नं० 1 के पिता अपीलान्ट जीवित है इस कारण रेस्पो० नं0 1का उक्त भूमि में 1/9 हिस्सा नहीं बनता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपीलान्ट के हितों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि वादनी रेस्पो० ने अपने वाद पत्र में अंकित किया कि विवादित भूमि वादनी व प्रतिवादीगण नं० 1 ता 8 के शामलाती खाते की भूमि है जो पैत्रिक है इस संबंध मे वादनी रेस्पो० नं० 1 ने कोई शामलाती खाते की जमाबन्दी पेश नहीं की। इसके रेस्पो०नं० 1 वादनी का 1/9 हिस्सा मान कर दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है। जो खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि वादनी रेस्पो० वादग्रस्त भूमि की खातेदार

अथवा सहखातेदार नहीं है और उसका कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादनी रेस्पो०नं० 1 व रेस्पो० नं० 2 ता 7 अपीलान्ट की पुत्रियां है जो सब ससुराल में निवास करती है। तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट व उसके पुत्र का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके बावजूद भी वादग्रस्त भूमि में रेस्पो०नं० 1 का हक व अधिकार मान कर दावा डिक्री करने में त्रुटि की है। जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर गोर नहीं किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (पिता) खातेदार की मृत्यु होने पर उसके वारिसान पर लागू होता है प्रस्तुत प्रकरण में वादनी रेस्पो० नं० 1 का पिता अपीलान्ट प्रतिवादी नं० 1 जीवित है इस कारण उक्त अधिनियम के तहत रेस्पो० नं० 1 कोई भूमि प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। इस महत्व पूर्ण तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही सरसरी तोर पर वादनी का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है। जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं० 1 व 2 वादनी के पक्ष में तथा तनकी नं0 4–5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर दावा वादनी डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिवादी नं० 9 व 10 की तामील होने अथवा उनके उपस्थित होने अथवा जवाब पेश होने के बाबत कोई कथन अंकित नहीं किये है यही नहीं प्राथमिक डिक्री कब बनायी व कब जारी की गयी उसमें कोई दिनांक अंकित नहीं है। इस कारण डिक्री निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23–08–2024 निरस्त किया जाकर दावा वादनी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण के सयुंक्त खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की भूमि है। वादग्रस्त आराजी वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता कालूलाल को उनके पिता धन्नालाल के फौत होने के पश्चात विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि वादिया के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है, यह पूर्वजों की सम्पत्ति है। वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संयुक्त हिन्दु परिवार की सदस्य होने के कारण जन्म से ही वादग्रस्त आराजी में अपना हक अधिकार रखती है। वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी में निहित अपने हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण अपीलांटगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए निर्णय व डिकी दिनांक 22.10.2024 पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 23.08.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम देवली तहसील रामगंजमण्डी की खाता संख्या 44 की खसरा संख्या 84, 85, 87, 106, 107, 117, 148 कुल किता 7 कुल रकबा 4.97 हैक्टेयर में स्वयं 1/9 हिस्सा निहित होना बताकर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संयुक्त हिन्दु परिवार की सदस्य होने की हैसियत से वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक अधिकार निहित है। वादग्रस्त आराजी वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता अपीलांट कालूलाल की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने पिता के जीवनकाल में ही प्रश्नगत वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने हस्तगत वाद में कालूलाल एवं उसके पुत्र–पुत्रियों को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार कायम किया है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी प्रतिवादीगण की साक्ष्य नहीं लेकर केवल प्रतिवादी संख्या 1 की ही साक्ष्य ली गई है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि में स्वयं का 1/9 हिस्सा निहित होने का कथन किया है तथा अपने तथाकथित हिस्से की घोषणा एवं बंटवारे का अनुतोष वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चाहा गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित स्वयं के हिस्से का विभाजन किए जाने का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यालालय द्वारा वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के मध्य वादग्रस्त आराजी का विभाजन किए जाने का आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2024 में अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा उनके हिस्से की भूमि का विभाजन किए जाने का अनुतोष नहीं चाहने के बावजूद भी वादग्रस्त आराजी का सभी पक्षकारान के मध्य विभाजन किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट

अपील संख्या 2024/269

कालूलाल बनाम मनभर वगै0

स्वीकार की जाकर अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 1696/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.08.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/6/25

(मुरलीधर प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा